न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2020-00164Ju2020-85 Nathusingh Vs Raghuveersingh etc

नाथुसिंह पुत्र रघुवीरसिह जाति राजपुत. निवासी ग्राम पालासनी तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

01. रघुवीरसिंह पुत्र स्व. अरिमरदानसिंह जाति राजपुत, निवासी ग्राम पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर ।
02. श्रीमती रेखादेवी पत्नी श्री प्रकाश सिरवी, जाति सिरवी, निवासी ग्राम पालासनी तहसील व जिला जोधपुर ।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर दिनांक 11 मार्च 2020 राजस्व वाद संख्या 20/2018 नाथुसिंह बनाम रघुवीरसिंह इत्यादि

———— 0 ————

उपस्थित–
श्री ओमप्रकाश डारा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री ईश्वरसिंह चम्पावत, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 01 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2018 नाथुसिंह बनाम रघुवीरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 मार्च 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 20 जुलाई 2020 को प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 35.07 बीघा, खसरा नंबर 646 रकबा 20.15 बीघा, खसरा नंबर 647 रकबा 14.06 बीघा, खसरा नंबर 652 रकबा 36.07 ग्राम पालासनी के संबंध में एक वाद खातेदारी घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का पेश किया गया। उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण की तरफ से आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी/अपीलार्थी का वाद खारिज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा इंसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया एवं न कोई शहादत पेश की गई । इन परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है। वादी ने दावे के साथ तमाम राजस्व रेकर्ड पेश किया था एवं विरासत के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु घोषणा खातेदारी की मांग की गई थी जो वादी का कानूनी अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादी का विवादग्रस्त भूमि में जन्म से अधिकार नहीं है तथा पिता के जीवनकाल में वादी पैतृक सम्पति पर अधिकार एवं बंटवाडा का दावा नहीं कर सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि–विरूद्ध तरीके से वाद विधि वर्जित मानते हुए वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को शहादत पेश करने का अवसर ही नहीं दिया एवं मनमाने तरीके से उनकी शहादत भी बंद कर दी। अपीलाधीन निर्णय में केवल वाद पत्र को उसी रूप में लिखते हुए अंतिम पद में बिना कोई माकुल कारण दर्शाये दावा खारिज कर दिया जो सरासर गलत है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट गरीब व्यक्ति है एवं प्रायः गांव से दुर मजदूरी करता है तथा उसका गांव में बहुत कम आना जाना रहता है। अधीनस्थ न्यायालय में दावे का फैसला हो जाने के बारे में उसके वकील ने उसे कोई सूचना नहीं दी। इस कारण उसे फैसले की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलार्थी दिनांक 12.03.2020 को मजदूरी के पैसे अपने परिवार वालो को देने के लिए आया एवं उसी दिन जाकर अपने वकील से मिला तथा मुकदमें के बारे में जानकारी चाही तो वकील ने डायरी देखकर बताया की दावे का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फैसला हो गया है। इस पर अपीलार्थी ने दिनांक 12.03.2020 को नकल की अर्जी पेश करवाई जो नकले अपीलार्थी को दिनांक 18.03.2020 को मिली। तब इसकी प्रथमबार जानकारी हुई। ततः पश्चात कोरोना महामारी की वजह से देश में लॉक डाउन कर दिया तथा लॉक डाउन खुलने के बाद आवागमन का साधन नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुआ।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं माफिक अनुतोष वाद डिक्री किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपने पिता के विरूद्ध खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है। कानूनन अपने पिता के जीवित रहते अपीलांट को वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाने का अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद विधि से बाधित पाये जाने से विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। अपीलांट द्वारा हस्तगस्त अपील विलंब से पेश की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, तत्समय विश्वव्यापी कोविड–19 महामारी के प्रकोप के चलते संपूर्ण राष्ट्र में लॉक डाउन की स्थिति उत्पन्न हो जाने से अपीलांट समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गुणावगुण पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को इस आधार पर खारिज किया है कि **"पिता के जीवनकाल में पुश्तैनी संपति के संबंध अधिकारो की घोषणा एवं विभाजन का दावा नहीं किया जा सकता है।"** अद्यतन न्यायिक निर्णयों माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारित किया है कि कानूनन पुश्तैनी संपति में व्यक्ति का जन्म से अधिकार निहित है। आदेश 07 नियम 11 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि न्यायालय द्वारा वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 पर खारिज किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पर निर्णय से पहले कानूनी विवाद्यक कायम किया जावे तथा उभय पक्ष को उक्त विवाद्यक के समर्थन में साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिसम्मत निर्णय किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 7 सीपीसी पर वाद विचारण प्रक्रिया के तहत बिना तनकीयात कायम किये तथा वादी का सुनवाई का अवसर प्रदान वाद खारिज किया जाना पाया जाता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2018 नाथुसिंह बनाम रघुवीरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 मार्च 2020 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मामले में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद का वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत गुणावगुण पर विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर